Date - 25 Feb 2021 Part - A

Name - Akanksha Tomar

प्रश्न 2.1

उत्तर

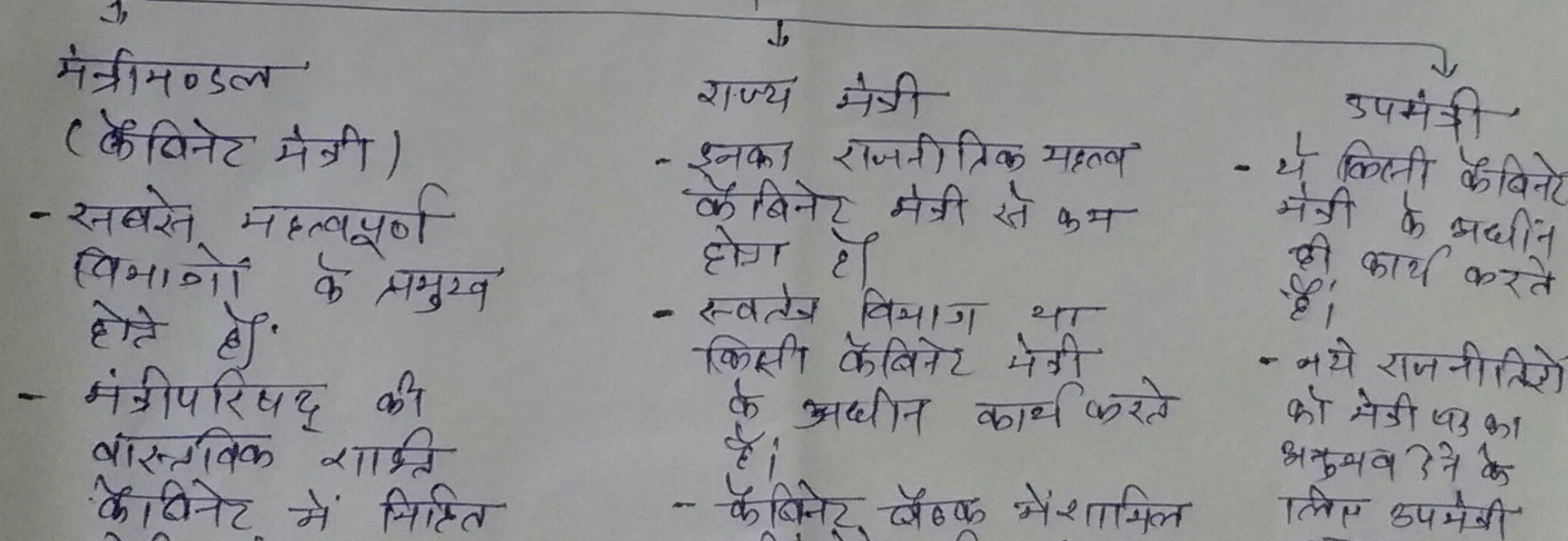

प्रश्न 2.6

उत्तर

क्षेत्राधिकार

- **मूल क्षेत्राधिकार**
  - अनु० 131 के अंतर्गत मामले
    (i) केन्द्र बनाम राज्य
    (ii) राज्य बनाम राज्य
- **अपीलीय क्षेत्राधिकार**
  - सर्वोच्च अपीलीय संस्थान है
- **रिट क्षेत्राधिकार**
  - मूल अधिकारों का संरक्षक है
  - मौ० रिट जारी करने का अधिकार है
    (i) बंदी प्रत्यक्षीकरण
    (ii) परमादेश
    (iii) उत्प्रेषण
    (iv) प्रतिषेध
    (v) अधिकार पृच्छा
- **परामर्श क्षेत्राधिकार**
  - अनु० 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति के परामर्श माँगने पर सलाह देने का अधिकार है।
- **न्यायिक क्षेत्राधिकार**
  - किसी भी न्यायालय में चल रहे मामले को अपने पास मँगवा सकता है
  - एक उच्च न्यायालय से दूसरे में मामले को भेज सकता है

Date-25 feb 2021 Part - A

प्रश्न- 2.9

उत्तर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में वर्णन किया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का कार्य भारत की संसद द्वारा किया जाता है। चूँकि ये सेवाएँ संघीय ढाँचे का हिस्सा हैं। अतः राज्य सभा को यह अधिकार है, कि वह ऐसा संकल्प पारित करे कि संसद को नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करना चाहिए।

वर्तमान में निम्न तीन अखिल भारतीय सेवाएँ अस्तित्व में हैं।

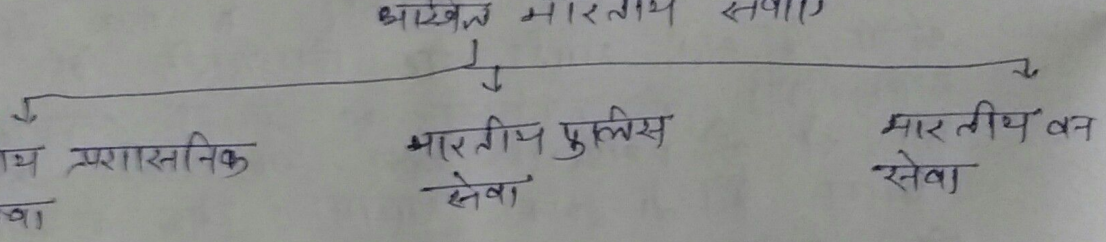

अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की सहायता से की जाती है। नियुक्ति के पश्चात इन्हें विभिन्न राज्यों में सेवा के लिए भेजा जाता है। अखिल भारतीय सेवाएँ भारत के संघीय ढाँचे को बनाये रखने में अपना योगदान देती हैं।

प्रश्न – 2.10

उत्तर वर्तमान परिदृश्य में मीडिया अभिव्यक्ति के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है मीडिया के द्वारा समाज को जागरूक करने का कार्य किया जाता है चूँकि आज सोशल मीडिया का चलन है। तथा मोबाइल और इंटरनेट जैसे साधन अधिकांश लोगों की पहुँच में हैं। तो एक विचार को चाहे वह अच्छा हो या बुरा फैलने में देर नहीं लगती। हम आए दिन सोशल मीडिया पर भड़काऊ और भ्रामक जानकारियाँ देखते रहते हैं, कई बार इन खबरों का दुष्परिणाम भयानक दंगों और मारकाट के रूप में सामने आता है अतः हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग सकारात्मक रूप से करें। मीडिया आज अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। तो इसका उपयोग लोक कल्याण के लिए करना चाहिए ना कि हिंसा भड़काने के लिए।

प्रश्न 2.12

उत्तर :- लोक अदालत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 द्वारा प्रमुख पोषित होती हैं। लोक अदालतों की नि०लि० विशेषताएें हैं।

(i) लोक अदालतों में कोई अदालती शुल्क नहीं लिया जाता है

(ii) लोक अदालतों में निर्णय त्वरित होते हैं। और इसके निर्णय बाध्यकारी होते हैं।

(iii) लोक अदालतों के निर्णयों की अपील किसी अदालत में नहीं की जा सकती है।

(iv) लोक अदालतों में प्रक्रिया सरल होती है इनमें पक्षकार अपने वकीलों के माध्यम से सीधे न्यायाधीश से बात कर सकते हैं।

(v) इनमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पालन अनिवार्य नहीं होता है।

प्रश्न- 3.1 OR

उत्तर राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। संविधान द्वारा राज्य के राज्यपाल को कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। जो निम्नानुसार हैं।

1. कार्यकारी शक्तियाँ :-
राज्यपाल को निम्नलिखित कार्यकारी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
(i) राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रीपरिषद् के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है
(ii) राज्यपाल अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है
(iii) राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है
(iv) राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है
(v) राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है
(vi) राज्य की समस्त प्रशासनिक कार्य राज्यपाल के नाम से ही चलाया जाता है

2. विधायी शक्तियाँ :-
(i) राज्यपाल राज्यविधानमंडल का सदस्य होता है।
(ii) राज्यपाल को विधानमंडल के सत्र को आहूत तथा सत्रावसान करने की शक्ति प्राप्त है
(iii) राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान कर अधिनियम बनाता है

3. न्यायिक शक्तियाँ !—
(i) राज्यपाल को राज्य विधि के अधीन दंड प्राप्त व्यक्ति की सजा को कम करने या माफ करने का अधिकार है
(ii) मृत्युदंड की सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को कम या विलंबित करने का अधिकार है

4. अध्यादेश जारी करने की शक्ति !—

राज्यपाल उस परिस्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है जब उस सदन न चल रहा हो और वर्तमान परिस्थितियों में वह नियम आवश्यक हो। अध्यादेश उन्हीं विषयों पर बनाया जा सकता है जिन पर नियम बनाने की शक्ति राज्यविधानमंडल को प्राप्त है

5. विवेकाधीन शक्तियाँ !—
राज्यपाल को कुछ परिस्थितियों में विवेकानुसार कार्य करना पड़ता है
जैसे – चुनाव के बाद किसी दल या चुनावपूर्व गठबंधन को बहुमत प्राप्त न हो, तो राज्यपाल विवेकानुसार सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है और 1 महीने में बहुमत साबित करने का समय दे सकता है